न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 09 / 2023
जीएसएमएस न. 2023 / 126

दर्ज दिनांक 13.02.2023
निर्णय दिनांक 21.04.2023

1. अनिल कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट, निवासी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. रामवतार पुत्र गौरू
3. विमला देवी पत्नी रामवतार

समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण

बनाम

1. आत्माराम पुत्र प्रहलादराम जाति महाजन निवासी वार्ड न. 16 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. ज्यानकीलाल पुत्र प्रहलादराम (फौत)
3. तिलोकचन्द पुत्र ज्यानकीलाल जाति महाजन निवासी वार्ड न. 16, उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4. सांवरमल पुत्र हनुमान प्रसाद जाति महाजन निवासी वार्ड न. 16 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
5. हरीप्रसाद पुत्र खेमराज (फौत)
6. अमीत पुत्र हरीप्रसाद जाति महाजन निवासी वार्ड न. 16 उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
7. भागीरथ पुत्र गणपत जाति स्वामी निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8. मुनेष देवी पत्नी विजय कुमार जाति मेघवाल निवासी 2 / 23 हस्तसाल रोड़ उत्तम नगर पश्चिमी दिल्ली।
9. सविता देवी पत्नी विनय कुमार जाति मेघवाल निवासी 2 / 23 हस्तसाल रोड़ उत्तम नगर पश्चिमी दिल्ली।
10. बनवारी पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी झाड़ूवाला तन धोलाखेड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
12. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।
13. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 21.04.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि ग्राम झाड़ूवाला की सरहद में भूमि खसरा न. 802 रकबा 2.00 है0 भूमि अवस्थित है, जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। एक आम सड़क उदयपुरवाटी से झुन्झुनूं की ओर जाती है जिससे कटकर पूर्व की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारीशुदा भूमि खसरा न. 801, 788, 800, 799 ग्राम झाड़ूवाला में अवस्थित है जिसके पूर्व की ओर प्रार्थीगण की खातेदारशुदा भूमि खसरा न. 802 ग्राम

झाडूवाला अवस्थित है प्रार्थीगण को अपनी खातेदारीशुदा भूमि खसरा न.802 में आने जाने के लिए तथा अपनी कृषि उपज को बाजार में ले जाने के लिए कोई कटाणशुदा रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि प्रार्थीगण पीढ़ियों से ही नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी रास्ता जो भूमि खसरा न. 801 व 788 की सीमा के बीच से होकर खसरा न. 800 व 799 में से होकर आवागमन करते हैं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं हैं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त खसरा न. 801, 788 की सीमाओं से होते हुए खसरा न. 800 व 799 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे 20 फिट चौड़ा रास्ता जो बिन्दु संख्या ए से बी रास्ता अपनी भूमि खसरा न. 802 में जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसको प्रार्थना पत्र का ही भाग समझा जावे। प्रार्थीगण पेशा से काश्तकार है काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 802 ग्राम झाडूवाला में आने जाने का एकमात्र रास्ता भूमि खसरा न. 800, 788, 801, 799 ग्राम झाडूवाला में से जो प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में बिन्दु ए से बी दर्शित है यही सुविधाजनक व सरलतम रास्ता है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, उक्त रास्ते में अप्रार्थीगण को अवरोध उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है अगर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण अपनी अनुचित, अनाधिकृत कार्यवाही में सफल हो जाते है, जिससे प्रार्थीगण के समक्ष रास्ते को लेकर भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी की सेवामें पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम झाडूवाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 802 में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित ग्राम उदयपुरवाटी से झुन्झुनूं जाने वाले सड़क से पूर्वी दिशा में अवस्थित भूमि खसरा न. 801, 788, 800, 799 में ए से बी बिन्दु से दर्शित 20 फिट चौड़ा रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी संख्या 13 को आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 7 व 10 ने जवाब पेश नहीं किया, प्रार्थना पत्र 251 क एक समरी ट्राईल है। अतः इनका जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के वारिस पहले से ही रिकॉर्ड पर हैं। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा का अवलोकन करने मात्र से जाहिर होता है कि भूमि खसरा न. 802 में आने जाने के लिए डोटेड लाइन से कटाणशुदा रास्ता है उक्त कटाणशुदा रास्ता भूमि खसरा न. 801 व 1019/801 से होता हुआ आगे 802 की दक्षिणी सीमा के आगे खेतों में चला जाता है जब किसी भमि के कटाणशुदा रास्ता विद्यमान हो तो दूसरा रास्ता कानूनन प्रतिबन्धित है वैसे भी 251क में वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हो तो दूसरा रास्ता दिया जावेगा प्रार्थीगण की भूमि के वैकल्पिक कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थीगण की भूमि के सबसे लघुतम रास्ता खसरा न. 801 की दक्षिणी सीमा व 1019/801 की उत्तरी सीमा के सहारे सबसे लघुतम रास्ता है इसके बाद भी प्रार्थीगण रास्ते का मांग करते है तो 801 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरी सीमा के सहारे सहारे मांग करते लेकिन प्रार्थीगण उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के लिए यह झूठा काल्पनिक प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को कृषि भूमि में काम में नहीं ले रहे हैं प्रार्थीगण उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी काटकर प्लॉटिंग कर भूखण्डों का बेचान करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अतिरिक्त कथन में बताया कि प्रार्थीगण की स्वीकृति के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 802 होने का कथन किया है चूंकि खसरा न. 802 में आने जाने के लिये एक डोटेड कटाणशुदा रास्ता भूमि खसरा न. 801 व 1019/801 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आगे जाता है। प्रार्थीगण की स्वीकृति के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है तो कानूनन दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता है। 251क आरटी एक्ट में रास्ता सबसे लघुतम है वही दिया जायेगा भूमि खसरा न. 801 व 1019/801 में से होकर सबसे निकटतम रास्ता है तथा खसरा न. 801 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे सबसे निकट रास्ता है वैसे भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि के वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान है तो कानूनन दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है रास्ते की आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिए न कि केवल सुविधा तथा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए प्रार्थीगण के पहले से ही कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है तो सुविधा हेतु नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। अन्त में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माय कोस्ट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 19.04.2023 को मौका जाचं रिर्पोट प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारीशुदा भूमि खसरा न.802 में आने जाने के लिए तथा अपनी कृषि उपज को बाजार में ले जाने के लिए कोई कटाणशुदा रास्ता मौजूद नहीं है बल्कि प्रार्थीगण पीढ़ियों से ही नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी रास्ता जो भूमि खसरा न. 801 व 788 की सीमा के बीच से होकर खसरा न. 800 व 799 में से होकर आवागमन करते हैं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं हैं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि खसरा न, 801 की भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है अतः प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 802 ग्राम झाडूवाला में आने जाने का रास्ता भूमि खसरा न. 800, 788, 799 में से तहसीलदार से प्राप्त मौका जाचं रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार रास्ता राजकीय रास्ता कायम किया जाए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क एक सम्मरी ट्रायल है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। वकील अप्रार्थी संख्या 8 व 9 ने बहस के दौरान अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की स्वीकृति के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 802 होने का कथन किया है कि चूंकि खसरा न. 802 में आने जाने के लिए एक डोटेड कटाणशुदा रास्ता भूमि खसरा न. 801 व 1019/801 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे आगे जाता है प्रार्थीगण की स्वीकृति के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि के कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है तो कानूनन दूसरा रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि कटाणशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rani Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:41 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता मौके पर मौजूद है रास्ते की आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिए न कि केवल सुविधा तथा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए प्रार्थीगण के पहले से ही कटाणशुदा रास्ता मौके पर मौजूद है तो सुविधा हेतु नया रास्ता नहीं दिया जा सकता।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जाचं रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम झाडूवाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 802 में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित ग्राम उदयपुरवाटी से झुन्झुनूं जाने वाले सड़क से पूर्वी दिशा में अवस्थित भूमि खसरा न. 801, 788, 800, 799 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहा । भूमि खसरा न. 801 संपरिवर्तन की भूमि है। तहसीलदार ने मौका जांच रिपोर्ट में भूमि खसरा न. 788, 800, 799 में से नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी तक का रास्ता दर्शाया है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता नहीं है। रा.का. अधिनियम 251क सम्मरी ट्रायल है। अतः प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क रा.का. अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झाडूवाला की सरहद में भूमि खसरा न. 802 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 788, 800, 799 में सें तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट में दर्शाया गया रास्ता को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि या डी0 एल0 सी0 दर की दुगनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाऐ एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशी को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे/ जमीन के बदले जमीन दे तथा उक्त 20 फिट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 19.04.2023 मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 21.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:05:41 IST
Reason: SelfAttested